छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –142 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2025-02771**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''रिवर काउंटी–05'' प्रमोटर–पायोनियर होम्स, द्वारा–श्री रवि फतनानी, पता–प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, ग्रीन आर्केड कॉलोनी, अवंती विहार, दलदलसिवनी, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''रिवर काउंटी–05'' पता–भाठागांव, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
11/07/2025	– प्रकरण प्रस्तुत । – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 01.03.2024 के अनुसार यह पाया गया कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''रिवर काउंटी–05'' पंजीयन क्रमांक–**P3CGRERA23821000026** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 23.08.2021 से पंजीकृत किया गया है। भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4 (2)(l)(D) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आबंटितियों से प्राप्त राशि एवं उपयोग रेरा विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से नियमानुसार करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–06/रेरा/ 2018/158, दिनाँक 19.04.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, रेरा विनिर्दिष्ट खाता का नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 07.04.2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का पंजीयन क्रमांक–P3CGRERA23821000026 के रूप में प्राधिकरण में पंजीकृत कराया गया है। प्रोजेक्ट का विकास कार्य प्रमोटर /संप्रवर्तक द्वारा किया जाता है। अनावेदक द्वारा विकासकर्ता के रूप में कोई कार्य नहीं किया गया है। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से दिनाँक 21.05.2020 को प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –142 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2025-02771**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''रिवर काउंटी–05'' प्रमोटर–पायोनियर होम्स, द्वारा–श्री रवि फतनानी, पता–प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, ग्रीन आर्केड कॉलोनी, अवंती विहार, दलदलसिवनी, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''रिवर काउंटी–05'' पता–भाठागांव, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा उक्त पी3ए पंजीकरण के तहत् कोई निर्माण कार्य नहीं की गई है और प्रस्तावित निर्माण के संबंध में किसी भी आबंटिती से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं की गई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण को समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	